

**कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्र.सं. - शैवि/मा/सस्था/सी-7/हेन्ड/एसीपी/आक्षेप/2019 दिनांक: 13.08.2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा, .....

2/1/23

**विषय- प्राध्यापक हिन्दी (स्कूल शिक्षा) एसीपी के आक्षेप के संबंध में**

उपरोक्त विषय में लेख है कि प्राध्यापक हिन्दी (स्कूल शिक्षा) के एसीपी प्रकरण कार्यालय हाजा के लेखाधिकारी के द्वारा लगाये गये आक्षेप की सूची सलग्न मय विवरण सबधित कार्यालय को मूल प्रकरण प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है सबधित आक्षेप की पूर्ति कर भिजवाने की व्यवस्था करे ।

क्र.सं.	संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राजस्थान)	जन्मतिथि	आक्षेप का विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	ओम प्रकाश, डूमाडा - अजमेर	20/06/1962	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
2	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	पुरुषोत्तम माली, लखंड, - अजमेर	01/05/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
3	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	बृदीलाल शर्मा, ढस्क - अजमेर	06/07/1965	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है । <i>सेवा प्रतिष्ठा सलग्न है</i>
4	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	चिम्नलाल मोर्य, भूडोल-श्रीनगर-अजमेर	01/06/1965	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
5	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	साहनलाल बरबड़, रामनेर ढाणी- अजमेर	02/07/1967	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
6	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	मदनलाल, कराना - गानसूर - अलवर	01/07/1959	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है । विभागीय जाँच रिपोर्ट अनुसार कार्मिक के दिरुद्ध विभागीय जाँच सम्बन्धित है निर्णय के उपरान्त प्रकरण प्रस्तुत कराये ।
7	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	हनुमान सहाय रंजन खंडहरी - बानतूर - अलवर	04/08/1961	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है । <i>सेवा प्रतिष्ठा सलग्न है</i>
8	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	नलिनी रंजन अवस्थी, माजपुर - अलवर	30/06/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है । <i>सेवा प्रतिष्ठा सलग्न है</i>
9	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	चिम्न लाल यादव, भौंचल-अलवर	21/05/1971	नवीन यतनमान 20107 में वेतन निर्धारण की प्रति प्रस्तुत कर, तथा तदनुसार छेत्तौद एसीपी लेवने प्रस्तावित करे ।

*5/2 2/23*

क्र.सं.	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (रत्ननाथी)	जन्मतिथि	आक्षेप का विवरण
10	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बांसवाड़ा	हस्मिता शाह, तेजपुर, बांसवाड़ा	31/03/1975	नवीन वेतनमान 2017 में वेतन निर्धारण की प्रति प्रस्तुत कर, तथा नियम 15 एवं शूड्यूल 6 के तदनुसार द्वितीय एसीपी लयन प्रस्तावित करे।
11	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बारां	देवेन्द्र कुमार शर्मा अन्ताना - बारां	16/12/1958	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे : तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है।
12	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बारां	अब्दुल कयुम खान, नियाणा - बारां	13/05/1965	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है।
13	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बारां	रानी वर्मा, कुम्भाखंडी - बारां	25/9/1963	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है।
14	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बारां	महेन्द्र कुमार जैन, बडगाव बारां	30/07/1959	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है।
15	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर	भूधरराम चौधरी, निम्बाणियों की ढाणी बाडमेर	10/02/1961	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है। <b>सेवा पुस्तिका संलग्न है।</b>
16	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर	नन्दराम चौधरी, नन्धान की ढाणी- बाडमेर	19/04/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है। <b>सेवा पुस्तिका संलग्न है।</b>
17	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर	अनिल कुमार गुप्ता, वर्तमान प्रधानचायें लुहासा-भरतपुर	26/01/1963	वर्ष 2000-01 की डीपीसी द्वारा व्याख्याता पद पर चयनित होने के फलस्वरूप वअ पद पर दिनांक 01/07/2000 से स्वीकृत 18 वार्षिक चयनित वेतन मान 7500-12000 के स्थान पर व्याख्याता पद पर द्वितीय एसीपी 4800 दिनांक 01/09/06 से देय हार्ग तदनुसार प्रस्तावित करायें।
18	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा	नीरू माधुर, गुरला- भीलवाड़ा (आरवीआरडॉएस)	21/05/1967	20 वर्ष की सेवा पर 5400 ग्रेड वेतन प्रस्तावित करने का क्या औचित्य है 0-07/13 के अनुसार ग्रेड वेतन अनुसार एसीपी प्रस्तावित करे तथा सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करे।
19	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा	विजय लक्ष्मी थारवान, वा0 भीलवाड़ा	27/02/1968	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है। तृतीय ग्रेड में नियमित नियुक्ति तिथि जिनसे चैक लिस्ट में संकेत करे तथा संबंधित उस्तादा की घंटे सलग्न करे। पुनः वेतनमान 2017 में वेतन निर्धारण कर तदनुसार एसीपी प्रस्तावित करे। मूल प्रकरण प्रायत है।

श्री ८६१



क्र सं	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जन्मतिथि	आक्षेप का विवरण
32	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़	भेरूलाल शर्मा, उपरंडा - राशनी - चित्तौड़गढ़	08/10/1960	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
33	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़	जगदीश चन्द्र बोहरा, उमण्ड - चित्तौड़गढ़	03/07/1963	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
34	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़	भगवान लाल बैरवा, कुथना - चित्तौड़गढ़	09/08/1968	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
35	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर	शमस्वरूप, सनीपुर - धौलपुर	25/06/1965	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
36	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, डूंगरपुर	नन्दकिशोर गर्ग सुन्दरपुर - डूंगरपुर	27/07/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
37	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	नारायण बैरवा, बा0 चाकसू, जयपुर	19/11/1970	संघ पुस्तिका के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक पद पर 01.01.1998 को न्यून पश्चात उपस्थिति दी गई है स्थाईकरण 01.01.1998 से दिने जाने का कारण स्पष्ट करें । 31.12. के उपरान्त व.अ. पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप नियमित नियुक्ति सत्रांत पश्चात कार्यग्रहण तिथि से मानी जाती है । संवा नियम 97 के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्णय अनुसार प्रकरण का परीक्षण दरवासा जाकर नियमानुसार स्थाईकरण प्रकरण प्रस्तुत करें ।  <b>सेवा प्रतिष्ठा समिति</b>
38	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	नरेन्द्र कुमार जैन, शिक्षा परिषद जयपुर	03/08/1971	व.अ. पद पर 21.01.1998 (1 जनवरी के पश्चात) नियुक्ति है अतः नियमित नियुक्ति तिथि 01.07.1998 मानी चाहिये आर एस 97 के निचे अंकित निश्रय अनुसार परीक्षण कर एसीपी प्रस्तावित करें । आर एस 97 के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे ।
39	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	वशिष्ठ कुमार सारस्वत, बडनगर-पावटा - जयपुर	20/10/1960	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
40	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	सुमन स्वर्णकार लूनियावास- जयपुर	28.07/1972	स्थाईकरण आदेशानुसार नियमित नियुक्ति तिथि 01.07.1998 है तदनुसार 01.07.19 एसीपी प्रस्तावित करें ।
41	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जालौर	छागाराम, भाट्टाजून - जालौर	15/07/1965	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।

5/2/2019


क्र.सं.	संबन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम व्याख्याता गण पदस्थापन स्थान (राज्य/राज्य):	जन्मतिथि	आक्षेप का विवरण
42	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जालौर	बाबूलाल वर्मा, सग्यल - जालौर	20/07/1960	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
43	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जालौर	गुलाब चन्द, कंशवना - जालौर	01/01/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
44	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झालावाड	बाबूलाल वर्मा, लीमी - झालावाड	17/04/1965	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
45	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झालावाड	राजेन्द्र कुमार वैष्णव, झूमकी - झालावाड	06/06/1963	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
46	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झालावाड	राजेन्द्र कुमार पाटीदार, खानपुरिया - झालावाड	05/09/1961	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
47	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झालावाड	बाबूलाल रंगर, मउबोरदा- झालावाड	10/12/1965	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
48	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्डू	सुमित्रा देवी ओला, कोलसिया - झुन्डू	22/5/1962	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है । <b>सेवा पूर्णता सलग्न है</b>
49	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्डू	श्रीमती मणी बायल, सोलाना - चिडावा-झुन्डू	08/02/1962	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है । <b>सेवा पूर्णता सलग्न है</b>
50	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर	कैलाश चन्द, कापरडा - जोधपुर	01/06/1968	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
51	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, कोटा	शिखा योगी, ताथड-कोटा	02/07/1972	नवीन बतनमान 2017 में बतन निधारण की प्रति प्रस्तुत करें तथा नियम 15 एच रूड्यल 6 के तदनुसार द्वितीय एसीपी लेवन प्रस्तावित करें ।
52	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, <del>झालावाड</del> <b>झुन्डू</b>	रामगोपाल मीना, बाईसवाला प्रतापगड <b>झुन्डू</b>	10/02/1962	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
53	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद	देवीलाल प्रजापत, मदारिया - राजसमंद	20/09/1967	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है । <b>सेवा पूर्णता सलग्न है</b>

**समर्थ**

क्र.सं.	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राजभाषा)	जन्मतिथि	आक्षेप का दिवरण
54	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा राजसमंद	मुयारिक हुसैन मसूरी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रत्नमगरा - राजसमंद	15/01/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
55	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद	सुरेश चन्द पौपला पिपली अहिरान - राजसमंद	10/08/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
56	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद	शंकर सिंह राठौड़ भैंसाकमेड - राजसमंद	05/09/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
57	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, स0 माधोपुर	श्रीमती कंचन श्रीवास्तव वा0शहर -सवाईमाधोपुर	21/02/1972	दस्तावेज 27.12.10 की पति प्रस्तुत करें ।
58	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर	मीना कुमारी, कोलिडा-सीकर	05/01/1970	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
59	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोंही	नटवरलाल श्रीमाली, कागमाला -सिरोंही	04/08/1961	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
60	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोंही	राधेश्याम, उन्दरा-सिरोंही	15/06/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
61	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, टोंक	बाबूलाल मीणा धुगकल टोंक	12/2/1963	तृतीय श्रेणी में नियमित नियुक्ति एव स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करें ।
62	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर	नरेन्द्र कुमार दक आगड-लसाडिया, उदयपुर	5/3/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
63	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर	उत्तम चंद सागर, म्हरो का गुडा-बडगाव उदयपुर	10/6/1963	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
64	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर	पमलता माली, ईसवाला - उदयपुर	01/08/1967	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।
65	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर	चन्दनमल बागडी - लोयरा - उदयपुर	08/10/1965	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति संलग्न करावे । तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है ।

502 2/2/1

क्र.स	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राजमतिवे)	जन्मतिथि	आक्षेप का विवरण
66	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर	सोहनलाल मेघवाल, गांदाणा - उदयपुर	25/04/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है।
67	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा उदयपुर	श्याम बाबू, बा० मावली - उदयपुर	25/07/1961	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है।
68	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर	गणेशलाल देवडा, बा० चावण्ड-उदयपुर	18/02/1966	पंचायत राज विभाग में तृतीय ग्रेड में जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत आदेश जारी करने की तिथि से नियमित नियुक्ति मानी जानी है प्रति सलग्न करावे। तदनुसार एसीपी स्वीकृति की जानी है।

  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
 बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा

02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्राध्यापक के आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण पुन भिजवाने की व्यवस्था करे।

03- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु

04- संबंधित सस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक

05- निजी गृह नक्षित घनावली

  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
 बीकानेर